

5

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF----- J.M.F.C., Gohad, DIST. Bhind (M.P)

Case No.....356/17

Complaint or report madeon

Name and address of the Complainant.....श्री. पु. गोहड

श्री. पु. गोहड
शायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहड जिला मिराट

Name , parentage, caste and address of accused

महेश कुशवाह 8/0 हरीराम कुशवाह उम्र 25 साल
निवासी- वाई वृ 12 गोहड जिला मिराट

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 8/12/17 मुकाम

नया कस रहे हो रूट,
में आम रोड पर शायिक मजिस्ट्रेट करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे,
जो कि धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिस्का चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

हस्ता. गुप्ता
शायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहड जिला मिराट

महेश

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.


हस्ता. गुप्ता
शायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहड जिला मिराट

// निर्णय //

(आज दिनांक 8/2/7 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(3) पुलिस अधिनियम के तहत समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।
03. अभियुक्त को धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत रुपये 50/- शब्दों में पचास रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर X का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

मेरे निर्देशन पर टंकित


नाथिक हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी
निम्न कार्यालय